सं.-12019/01/2018-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

***

एन.डी.सी.सी.-।। भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक: 11 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2018 को आयोजित केंद्रीय हिंदी समिति की 31 वीं बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा, अन्य बातों के साथ- साथ, निम्न सुझाव भी दिए गए:-

1. **एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच पत्राचार हिंदी में ही किया जाए** - इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश मंत्रालय 'क' क्षेत्र में स्थित हैं, और वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 के अनुसार हिंदी पत्राचार का लक्ष्य 'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र के लिए: 100 प्रतिशत है। अत: अनुरोध है कि लक्ष्यानुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. **सचिवालय स्तर पर हिंदी कार्य को बढ़ाया जाए तथा राजभाषा हिंदी में अधिक कार्य होना चाहिए** - इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं तथा इसके तहत हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। विभाग द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने हेतु तकनीकी टुल्स भी बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मंत्रालय को हिंदी अधिकारी व हिंदी स्टाफ उपलब्ध कराए गए हैं, तथा हिंदी अधिकारियों को यह भी निदेश है कि वे उच्च स्तर के अधिकारियों को अधिकांश काम हिंदी में करने के संबंध में मदद करें और कंप्यूटर पर हिंदी संबंधी सुविधाएं जांच कर सुनिश्चित करें कि सभी कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य हो सके।

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त मदों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई से इस विभाग को अवगत भी कराएं।

11/7/19

(जयप्रकाश अग्रवाल)

संयुक्त सचिव (रा.भा.)

प्रति- आवश्यक कार्रवाई हेतु,

भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन) एवं अध्यक्ष, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति।